न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.
पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : (173/19) 405/2019

–:: वादी ::–

1. कंचन पत्नी भंवरूखां
2. छोटू पुत्र भंवरूखां
3. मोहम्मद मुस्ताक पुत्र भंवरूखां
4. अल्लादीन पुत्र भंवरूखां
5. शेरू मोहम्मद पुत्र भंवरूखां

जाति–तेली मुसलमान,
निवासीगण–लाम्बिया,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
राज.।

बनाम

–:: प्रतिवादी ::–

1. जंवरू पुत्र अब्दुल मोहम्मद
2. रसीद पुत्र अब्दुल मोहम्मद
3. सलाम पुत्र अब्दुल मोहम्मद

जाति–तेली मुसलमान
निवासीगण–लाम्बिया,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली।

4.

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

तारीख रजू:.17/07/2019

उपस्थितः–

1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 04/03/2020**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–लाम्बिया पटवार हल्का लाम्बिया भू अभिलेख निरीक्षक आ.कालू तहसील–जैतारण जिला–पाली के राज की सीमा में कृषि भूमि खसरा नंबर 1120 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नंबर 1092/1 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल स्थित है। उक्त खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी कब्जे काश्त की है। नकल जमाबंदी इस वादपत्र के साथ पेश है। उक्त कृषि भूमि के वर्तमान वादीगण होने से उक्त कृषि भूमि के वर्तमान खातेदार वादीगण होने से उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और वर्तमान में उपयोग उपभोग कर्ता एकमात्र वादीगण ही है एवं प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि में बाधा अड़चन एवं हस्तक्षेप करते रहते है तथा प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण को एलानिया धमकीया देते है कि तुम लोगों को उक्त कृषि भूमि से बेदखल कर देंगे जबकि प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि से कोई लेना देना नहीं है प्रतिवादीगण ना तो उक्त भूमि के खातेदार है न ही सहखातेदार है न ही उपखातेदार है न ही उक्त

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

भूमि पर प्रतिवादीगण कभी कब्जाकाश्त रहा है फिर भी प्रतिवादीगण कानून हाथ में लेकर लाठी के बल पर वादीगण जो कि उक्त कृषि भूमि के खातेदार है एवं कब्जा काश्त है उनके उपयोग उपभोग में बाधा अड़चन उत्पन्न कर रहे है एवं वादीगण के खातेदारी अधिकारों को प्रभावित कर रहे है। यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त अवैध कृत्यों में सफल हो जाते है तो वादीगण अपने पैतृक पुश्तैनी व खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के जायज हक अधिकारों से महरूम हो जायेंगे। इसलिए प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों को रोकने हेतू वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र खिलाफ प्रतिवादीगण श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत है। वादीगण एक गरीब काश्तकार व असहाय व्यकित है। प्रतिवादीगण धनबल व बाहूबल एवं संख्याबल के आधार पर आये दिन वादीगण पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन पर अतिक्रमण करने पर एवं वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। क्योंकि प्रतिवादीगण वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के न तो खातेदार है न ही सहखातेदार है न ही उपखातेदार है तथा प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है फिर भी प्रतिवादीगण कानून हाथ में लेकर लाठी के बल पर वादीगण को उनकी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा अड़चन पैदा कर रहे है। यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त अवैध कृत्यों में सफल हो जाते है तो वादीगण के पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी के जायज हक हकूक अधिकार प्रभावित होगे एवं वादीगण अपने जायज अधिकारों की भूमि से महरूम हो जायेंगे। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से और प्रतिवादीगण के उक्त कृत्यों को रोकने हेतु यह स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र खिलाफ प्रतिवादीगण के श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के साथ मारपीट कर डरा धमका रहे है पूर्व में भी प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ दो बार मारपीट की प्रतिवादीगण द्वारा किये गये उक्त आपराधिक कृत्य के विरूद्ध वादीगण ने दो बार अलग अलग आपराधिक घटनाओं के संबंध में पुलिस थाना आ.कालू में लिखित रिपोर्ट पेश की तब पुलिस थाना आ.कालू. द्वारा प्रतिवीदगण के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये जिसमें एक प्रकरण में चार्जसीट न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण के न्यायालय में पेश की गयी व दूसरे प्रकरण में मामला दर्ज कर जैर अनुसंधानरत है इस प्रकार प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि में आये दिन दखलन्दाजी करते है। दिनांक 08.07.2019 को भी प्रतिवादीगण मौके पर लकड़िया लेकर आये और वादीगण के उनकी खातेदारी अधिकारों को चुनौती दी एवं एलानिया धमकीया दी कि इस जमीन को खाली कर दो नहीं तो अन्जाम बुरा होगा। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से एवं वादीगण को अपने जायज खातेदारी अधिकारों एवं कब्जाकाश्त की पैतृक पुश्तैनी भूमि को सुरक्षित रखने तथा प्रतिवादीगण के उक्त अवैध कृत्यों को रोकने हेतू यह स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रथमदृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

है क्योंकि उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की पैतृक पुश्तैनी भूमि है तथा पूर्वजों के समय से मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की पैतृक पुश्तैनी एंव खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप कर वादीगण को बेदखल कर अतिक्रमण करने पर आमादा है सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि के न तो खातेदार है न ही सहखातेदार है न ही उपखातेदार है। वादीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त की भूमि में उपयोग उपभोग में बाधा अड़चन उत्पन्न की तो अपूर्णीय क्षति निश्चित रूप से वादीगण को होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है इसलिए यह स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत है। बिनाय दावा दिनांक 08.07.2019 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को उनकी पैतृक पुश्तैनी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि से बेदखल करने एवं उनके उपयोग उपभोग में बाधा अड़चन पैदा करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम लाम्बिया जैतारण जिला-पाली राज. में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी संख्या 01 का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू-1, गवाह मुस्तान पीडब्ल्यू-2, गवाह ओगड़ पीडब्ल्यू-3 एवं गवाह सुखाराम पीडब्ल्यू-4 साक्ष्य शपथपत्र किया, जो सामिल मिसल है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः ग्राम-लाम्बिया, पटवार हल्का-लाम्बिया, तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 1120 रकबा 10-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा संख्या 1092/1 रकबा 06-02 बीघा बारानी अव्वल के वादीगण खातेदार है। वादपत्र एवं अन्य दस्तावेजों पर हमने मनन किया। जिसमें वादीगण का यह कथन है कि प्रतिवादीगण को स्थायी व्यादेश से पाबन्द किया जाए। वादीगण ने अपने वादपत्र में यह जाहिर नहीं किया है कि प्रतिवादीगण ने उनके कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी पर कितना अतिक्रमण या या क्षति कारित की है और अतिक्रमण या क्षति का आसन्न संकट किस प्रकार से है। वादीगण ने वादपत्र में उल्लेख किया है कि उनके प्रतिवादीगण के साथ 02 आपराधिक मुकदमें हुए हैं लेकिन वादीगण ने इसके संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये है।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में वादिया कंचन पत्नी भंवरू खां तथा मो. मुस्ताक पुत्र भंवरू खां ओर औगड़ कुमावत पुत्र भोलाराम तथा सुखाराम पुत्र हरीराम जाति-मेघवाल के साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किये। जिनके द्वारा वादपत्र में अभिकथित कथनों को दोहराया गया। परन्तु उपर्युक्त मौखिक साक्ष्यों में भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

वादग्रस्त आराजी पर अतिचार या क्षति किस प्रकार कारित है, या नहीं की है, या किस प्रकार ऐसा अतिचार या क्षति किये जाने की प्रबल आशंका उपस्थित है। इसी प्रकार वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादीगण का वाद साबित हो।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना हम विधिसंगत मानते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955, बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। इसी कदर पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 04/03/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, मुकाम:- जैतारण

इजलास :- श्री लाखाराम , आर0ए0एस0

-:: वादी ::-

1. कंचन पत्नी भंवरूखां
2. छोटू पुत्र भंवरूखां
3. मोहम्मद मुस्ताक पुत्र भंवरूखां
4. अल्लादीन पुत्र भंवरूखां
5. शेरु मोहम्मद पुत्र भंवरूखां

जाति-तेली मुसलमान,
निवासीगण-लाम्बिया,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
राज.।

बनाम

-:: प्रतिवादी ::-

1. जंवरु पुत्र अब्दुल मोहम्मद
2. रसीद पुत्र अब्दुल मोहम्मद
3. सलाम पुत्र अब्दुल मोहम्मद

जाति-तेली मुसलमान
निवासीगण-लाम्बिया,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली।

राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 मु0न0 :रा0वा0 स0: (153/19)
397/2019
92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-..... ... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद-वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा-188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/03/2020 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वजह सबूत	-
महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	03-00
फीस कमीश्नर	-
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-
मिजान:-	05

मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प अर्जी	
महनताना वकील	
खर्चा गवाहान	
फीस कमीश्नर	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	
मुत्फरिक	
मिजान:-	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2020.03.13 13:48:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: